न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/348

बाबूलाल पुत्र शंकरया जाति मीणा निवासी ग्राम ढाढूण तहसील नैनवां

–अपीलांट

बनाम

1. अशोक पुत्र राजू जाति मीणा निवासी ग्राम ढाढूण तहसील नैनवां
2. प्रहलाद पुत्र देवा जाति मीणा निवासी ग्राम ढाढूण तहसील नैनवां
3. बद्रीलाल पुत्र देवा जाति मीणा निवासी ग्राम ढाढूण तहसील नैनवां
4. शोजी पुत्र राजू जाति मीणा निवासी ग्राम ढाढूण तहसील नैनवां
5. सोना पुत्री राजू जाति मीणा निवासी ग्राम ढाढूण तहसील नैनवां
6. सीता बाई पत्नी पर्वत सिंह जाति मीणा निवासी ग्राम ढाढूण तहसील नैनवां
7. राजस्थान सरकार द्वारा भूमिधारी तहसीलदार, तहसील नैनवां जिला बून्दी

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 12.01.2026**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 04/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ढांदूण पटवार हल्का मोड़सा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) की खाता संख्या 214 पुराना 85 सम्वत् 2076 से 2079 कृषि भूमि खसरा संख्या 989/750 रकबा 1.2520 हेक्टेयर स्थित है। जिसका रिकॉर्डेड खातेदार प्रार्थी बाबूलाल है। ग्राम ढांदूण पटवार हल्का मोड़सा तहसील नैनवां की खाता संख्या नवीन 78 पुराना 51 सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खसरा संख्या 916/745 रकबा 1.6180 हेक्टेयर स्थित है। जिसके अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 रिकॉर्डेड सह खातेदारान है। ग्राम ढांदूण पटवार हल्का मोड़सा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) की नवीन खाता संख्या 188 पुराना 168 सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खसरा संख्या 917/745 रकबा 1.6180 हेक्टेयर स्थित है। जिसकी अप्रार्थी संख्या 6 सीता बाई रिकॉर्डेड खातेदार है। ग्राम ढांदूण पटवार हल्का मोड़सा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) की खाता संख्या 1 सम्वत् 2076 से 2079 की भूमि खसरा संख्या 745/851 रकबा 0.0728 हेक्टेयर एवं

खसरा संख्या 751 रकबा 17.9679 हेक्टेयर बंजड सिवायचक स्थित है। जो अप्रार्थी संख्या 7 के नाम दर्ज है। प्रार्थी बाबूलाल की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने का, गाड़ी बैल ले जाने, कृषि उपज ले जाने व कृषि हेतु ट्रेक्टर ले जाने, मवेशियो को ले जाने का करीब 100 वर्षों पुराना जो करीब 15 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ था। ग्राम ढांदूण से आरम्भ होकर खसरा संख्या 745 सिवाय चक भूमि में होता हुआ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 916/745 एवं 917/745 की जमीन पर बना हुआ था। जिसको सन् 2009 में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने डोल लगाकर अवरूद्ध कर दिया था। प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय (क.ख.) नैनवां के यहां प्रस्तुत किया था। जिसका शीर्षक "बाबूलाल आदि बनाम देवा आदि" से एवं जिसकी संख्या 24/2009 थी। प्रस्तुत किया था। जो दिनांक 01.03.2013 को निस्तारित किया था। वाद खारिज होने के उपरान्त प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान ने माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.03.2013 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नैनवां के यहां अपील जिसकी संख्या 41/2021 बाबूलाल आदि बनाम देवा आदि के शीर्षक से प्रस्तुत की थी। अपील भी दिनांक 28.10.2023 को निर्णित की गयी थी। जिसमें निर्देशित फरमाया गया था कि वादीगण की याचना पर सद्भाविक दृष्टिकोण से विचार करते हुये मामले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट नैनवां को निर्देश दिया जाता है कि वे दोनो पक्षकारो के बीच में जो रास्ते का विवाद है। उक्त वाद के सम्बन्ध में पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधि अनुसार निस्तारण किया जावे। प्रार्थी बाबूलाल के पास प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर जाने हेतु ग्राम ढांदूण से आने जाने, कृषि उपज ले जाने, मवेशियों ट्रेक्टर, ट्रोली आदि ले जाने हेतु कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। इस कारण प्रार्थी बाबूलाल ग्राम ढादूण से चलकर अप्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा संख्या 916/745, 917/745 एवं सिवाय चक खसरा संख्या 45/851 एवं 751 ग्राम ढांदूण तहसील नैनवां में होकर कम से कम 20 फीट चौड़ा रास्ता परिशिष्ट "अ" में वर्णित लाल स्याही से बताये गये मार्ग "ब" "स" "द" नवीन रास्ता प्रार्थी को नवीन रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है. जिसके अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। परिशिष्ट "अ" प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। नियमानुसार प्रार्थी रास्ते में आयी भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दर से भुगतान करने को तैयार है। प्रार्थी बाबूलाल को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता उपलब्ध नही करवाया गया तो वह अपनी कृषि भूमि पर न तो आ जा सकेगा न कृषि उपज को ट्रेक्टर ट्रोली से लाने ले जाने व मवेशियों के आवागमन नही कर पायेगा। इस प्रकार प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि पर आने जाने के रास्ते के अभाव मे कृषि नहीं कर पायेगा तथा उसके परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जायेगी। पक्षकारान के मध्य माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क. ख.) नैनवां में वाद संख्या 24/09 "बाबूलाल आदि बनाम देवा आदि" के नाम से सन् 2009 से दिनांक 01.03.2013 तक तथा माननीय अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नैनवां के न्यायालय ने अपील संख्या 41/2021 ष्बाबूलाल आदि बनाम देवा आदि की दिनांक 26.10.2023 तक रास्ते का विचाराधीन मामला था। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। अब फैसला हो जाने के बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। धारा 251 (क) रा.टि.एक्ट. 1955 में कोई अवधि निर्धारित भी नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। पहले कृषि भूमि ग्राम ढांदूण की खसरा संख्या 750 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा शामलाती थी इसलिए प्रार्थी ने अन्य सह

खातेदारान के साथ प्रार्थना पत्र में उक्त सिविल वाद में उनको पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया था। अब उनका खाता अलग है तथा उन्होंने वादी के साथ पक्षकार बनने से मना भी कर दिया है। इसलिए प्रार्थी अकेला ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी बाबूलाल की ग्राम ढांदूण पटवार हल्का मोड़सा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की खाता संख्या 214 पुराना 85 सम्वत् 2076 से 2079 की भूमि खसरा संख्या 989/750 रकबा 1.2520 हेक्टेयर पर ग्राम ढांदूण से चलकर सिवाय चक भूमि खसरा संख्या 745/851 एवं 751 खसरा संख्या 916/745 एवं खसरा संख्या 917/745 ग्राम ढांदूण पटवार मण्डल मोड़सा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान में एवं परिशिष्ट "अ" में वर्णित "ब" "स" "द" बिन्दुओं जिसको लाल स्याही से दर्शाया है। करीब 20 फीट नवीन रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे तथा इस आशय का अंकन सम्बन्धित राजस्व अभिलेख व राजस्व नक्शे में फरमाया जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.08..2025 के द्वारा प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अपीलांट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 751 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08..2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08..2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08..2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायीएवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा परिशिष्ट अ में वर्णित ब, स, द बिन्दुओ वाला रास्ता प्रदान नहीं करने व अन्य प्रस्तावित रास्ता प्रदान कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट अपने खातेदारी की 989/750 आराजी स्थित है जिसका प्रारम्भ से रास्ता ब, स, द रहा है। जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा तैयार रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त प्रचलित रास्ता ही रेस्पोडेन्ट द्वारा बन्द करने पर अपीलान्ट द्वारा यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अन्य रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि परिशिष्ट अ के अलावा प्रदान किया गया अन्य रास्ता जो

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

खसरा नम्बर 751 से होकर बताया गया है उक्त रास्ता सरल व सुलभ नहीं है। जिसके बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्राप्त रिकॉर्ड दिनांक 22.08.2025 का गुणावगुण पर कोई अवलोकन नहीं किया गया और अपीलान्ट की आराजी के उरास्ता प्रस्तावित कर दिया, जबकि अपीलान्ट आज भी परिशिष्ट अ में वर्णित रास्ते से ही अपनी आराजी में आताजाता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट "अ" वाला रास्ता अपीलान्ट को प्रदान किए जाने तथा अन्य न्यायोचित सहायता भी अपीलांट को दिलवाये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण के खेत में आने जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता विद्यमान है जो ग्राम ढाढूण से चन्दनपुरा जाने वाली कच्ची सड़क से होता हुआ जाता है। रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि मे होकर कोई रास्ता अपीलांट के खाते की भूमि में नहीं जाता है। अपीलांट के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता ग्राम ढाढूण से चंदनपुरा जाने वाले कच्चे रास्ते से रेस्पोडेन्टगण के खेतों की पश्चिम में लगे हुए पुराने डोल के नीचे उत्तर–दक्षिण जोता हुआ अपीलांट के खाते की भूमि मे जाता है, उक्त रास्ता वर्षों से प्रचलित रास्ता है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टगण के खाते की भूमि में जबरन रास्ता कायम किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट की ओर से स्वयं के खाते की खसरा संख्या 989/750 रकबा 1.2520 हैक्टेयर में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 745/851, 751 एवं खसरा संख्या 916/745 व खसरा संख्या 917/745 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2025 संलग्न है। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) को प्रभाव देने के लिए बनाए गए नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक पद से नीचे का नहीं होगा, से निरीक्षण करवायेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति आमंन्त्रित करेगा। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 07.7.2025 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 751

की भूमि में रास्ता कायम किया गया है जबकि खसरा संख्या 751 से होकर जाने वाले रास्ते को अपीलांट द्वारा सरल व सुलभ नहीं होने का कथन किया गया है। अतः ऐसी स्थित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 27.08.2025 पर अपीलांट को आपत्ति प्रकट करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 27.08.2025 पर कोई आपत्ति प्रकट करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 27.08.2025 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट पर अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना तथा प्रस्तुत की गई आपत्ति का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 04/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करनें का समुचित अवसर प्रदान करें तथा प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 68 से 70 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 18.02.2026 को स्वयं उपस्थित रहें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा